

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर
// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10/11/2022

क्रमांक एफ 12-2/2022/मवावि/50: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.03.2022 के अनुक्रम में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के नियम 18 में निहित प्रावधान का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा छ0ग0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में महिला सदस्य के रूप में श्रीमती संगीता गजभिये, राजनांदगांव को नियुक्त करता है।

2/ उक्त नियुक्त सदस्य तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि व 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

3/ अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर सदस्य के रूप में पद धारण करना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश यादव)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ क्रमांक एफ 12-2/2022/मवावि/50 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10/11/22
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर छ.ग.।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष क्र.-07), मंत्रालय।
3. संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, नवा रायपुर।
4. संभागीय आयुक्त-रायपुर/दुर्ग छत्तीसगढ़।
5. कलेक्टर-रायपुर/राजनांदगांव छत्तीसगढ़।
6. सचिव, छ0ग राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रायपुर
7. जिला कोषालय अधिकारी रायपुर छत्तीसगढ़।
8. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-रायपुर।
9. संबंधित सदस्य श्री/श्रीमती/सुश्री.....
10. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय की ओर अधिसूचना की प्रति राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
11. फाईल फोल्डर।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर-492015

//आदेश//

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 10/11/2022

क्रमांक 4054 / आर 1950./2021/मबावि/50:: राज्य शासन एतद्वारा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 के (क.20 सन् 1996) की धारा 3 की उपधारा (2) (क) एवं सहपठित धारा 4 की उपधारा 4 में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, विभागीय आदेश दिनांक 16.07.2021 द्वारा श्रीमती तुलसी साहू, जिला-दुर्ग को राज्य महिला आयोग की सदस्य नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा आज पर्यन्त तक पदभार ग्रहण नहीं करने के कारण उनके स्थान पर श्रीमती बालो बघेल, जिला-बस्तर को राज्य महिला आयोग का सदस्य नियुक्त करता है ।

2/- उक्त नियुक्ति अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार सदस्य का कार्यकाल विभागीय आदेश 16.07.2021 के अनुक्रम में आदेश जारी होने से 03 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(भुवनेश यादव)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

पू. क्रमांक 4055 / आर 1950./2021/मबावि/50:: अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 10/11/2022
प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर ।
3. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।
4. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर ।
5. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर ज्ञाप क्रमांक 32 निस/स./सा.प्र.वि/2022, दिनांक 31.10.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
10. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।

/2/

11. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ ।
 12. संचालक, महिला एवं बाल विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
 13. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।
 14. श्रीमती तुलसी साहू, पूर्व सदस्य, राज्य महिला आयोग, रायपुर, की ओर आदेश दिनांक 16.07.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ !
 15. श्रीमती बालो बघेल, जिल-वस्तर, छत्तीसगढ़ ।
 16. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।
 17. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़ ।
 18. सचिव राज्य महिला आयोग, शास्त्री चौक, रायपुर ।
 19. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी.(छत्तीसगढ़) ।
 20. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर ।
 - 21 आदेश फोल्डर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय


10 NOV 2022

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
::-आदेश-::

अटल नगर, दिनांक 09 /11/2022

क्रमांक-एफ-2-54/2022/26-:- राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के रिक्त पदों में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक निम्नानुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त करता है :-

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 1. श्री नंद कुमार सेन, दुर्ग | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री चित्रकांत श्रीवास, बिलासपुर | - | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री विजय कुमार सेन, कोण्डागांव | - | सदस्य |
| 4. श्री धनुष सेन, मुंगेली | - | सदस्य |
| 5. श्री शीत श्रीवास, रायपुर | - | सदस्य |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गौरीशंकर शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
समाज कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक-एफ-2-54/2022/26

अटल नगर, दिनांक 09 /11/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर, छत्तीसगढ़.
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन रायपुर.
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर
4. विशेष सहायक, समस्त माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर
5. मुख्य सचिव, के उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर.
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर.
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा.
8. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर.

क्रमशः...02

9. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर.

10. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर रायपुर.

11. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ रायपुर.

12. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़.


13. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़.

14. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़.

15. माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य

16. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

समाज कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पर्यटन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर
नवा रायपुर (छ.ग.)
आदेश


10 NOV 2022
क्या

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09.11.2022

क्रमांक: एफ 1-5/33/2007/पर्य. :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सदस्य पद पर नियुक्त करता है :-

क्र	आयोग/निगम/मण्डल/बोर्ड	पद	नाम	गृह जिला
1	पर्यटन मण्डल	सदस्य	1. श्री अंकित, बागबाहरा	महासमुंद
			2. श्रीमती नैना गभेल	रायगढ़
			3. श्रीमती नीति सिंह	सूरजपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


09/11/2022
(कुसुम एक्का)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पर्यटन विभाग

अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 09-11-2022

पृष्ठ क्रमांक एफ 1-5/33/2007/पर्य.
/11/2022


प्रतिलिपि: -

01. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ रायपुर।
02. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
03. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
04. रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
05. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्री छत्तीसगढ़।
06. उप सचिव, मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।

क्रमशः...2

07. सचिव,, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक 32/निस/स./सा.प्र.वि./2022, दिनांक 31.10.2022 के संदर्भ में।
08. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
09. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
11. समस्त विभागाध्यक्ष छत्तीसगढ़।
12. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
13. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर।
14. संचालक, शासकीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
15. रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाईटी, अटल नगर नवा रायपुर।
16. मान. श्री अंकित ,बागबाहरा, महासमुंद, सदस्य, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर ।
17. मान. श्रीमती नैना गभेल, रायगढ़, सदस्य, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर।
18. मान. श्रीमती नीति सिंह, सूरजपुर, सदस्य, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, रायपुर।
19. स्टॉक फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
पर्यटन विभाग

